इसे बेवसाईट www.govtpress.mp.gov.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 254]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 11 सितम्बर 2025-भाद्र 20, शक 1947

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 11 सितम्बर 2025

क्र. 8760—165—इक्कीस—अ (प्रा.).— मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 9 सितम्बर 2025 को राज्यपाल महोदय की अनुमित प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा, सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है.

> मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आर. पी. गुप्ता, अतिरिक्त सचिव.

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक २० सन् २०२५

मध्यप्रदेश दुकान तथा स्थापना (संशोधन) अधिनियम, २०२५

[दिनांक ६ सितम्बर, २०२५ को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई; अनुमति ''मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)'' में दिनांक १९ सितम्बर, २०२५ को प्रथमबार प्रकाशित की गई.]

मध्यप्रदेश दुकान तथा स्थापना अधिनियम, १६५८ को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के छिहत्त्तरवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.

- 9. (9) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश दुकान तथा स्थापना (संशोधन) अधिनियम, २०२५ है.
 - (२) यह मध्यप्रदेश राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.
- धारा ११ का २. मध्यप्रदेश दुकान तथा स्थापना अधिनियम, १६५८ (क्रमांक २५ सन् १६५८) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम संशोधन. के नाम से निर्देष्ट हैं) की धारा ११ में, उपधारा (२) में, शब्द "किसी सप्ताह में छह घंटे" के स्थान पर, शब्द "किसी तिमाही में एक सौ चवालीस घंटे" स्थापित किए जाएं.
- धारा १६ का ३. मूल अधिनियम की धारा १६ में, उपधारा (२) में, शब्द ''किसी सप्ताह में छह घंटे'' के स्थान पर, शब्द ''किसी तिमाही संशोधन में एक सौ चवालीस घंटे'' स्थापित किए जाएं.
- धारा २१ का ४. मूल अधिनियम की धारा २१ में, उपधारा (२) में, शब्द ''किसी सप्ताह में छह घंटे'' के स्थान पर, शब्द ''किसी तिमाही संशोधन. में एक सौ चवालीस घंटे'' स्थापित किए जाएं.

भोपाल, दिनांक 11 सितम्बर 2025

क्र. 8760—165—इक्कीस—अ (प्रा.).— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश दुकान तथा स्थापना (संशोधन) अधिनियम, 2025 (क्रमांक 20 सन् 2025) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आर. पी. गुप्ता, अतिरिक्त सचिव.

MADHYA PRADESH ACT

NO. 20 OF 2025

THE MADHYA PRADESH SHOPS AND ESTABLISHMENTS (AMENDMENT) ACT, 2025

[Received the assent of the Governor on the 9th September, 2025; assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)", dated the 11th September, 2025.]

An Act further to amend the Madhya Pradesh Shops and Establishments Act, 1958.

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the Seventy-Sixth year of the Republic of India as follows:-

1. (1) This Act may be called the Madhya Pradesh Shops and Establishments

(Amendment) Act, 2025

Short title and commencement.

- (2) It shall come into force from the date of its publication in the Madhya Pradesh
- 2. In Section 11 of the Madhya Pradesh Shops and Establishments Act, 1958 (No. 25 of 1958) (hereinafter referred to as the principal Act), in sub-section (2), for the words "six hours in any week" the words "one hundred forty four hours in any quarter" shall be substituted.

Amendment of Section 11.

3. In Section 16 of the principal Act, in sub-section (2), for the words "six hours in any week" the words "one hundred forty four hours in any quarter" shall be substituted.

Amendment of Section 16.

4. In Section 21 of the principal Act, in sub-section (2), for the words "six hours in any week" the words "one hundred forty four hours in any quarter" shall be substituted.

Amendment of Section 21.